

फॉर्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण-2024

- अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो- दिनेश कुमार राठौर
- वर्तमान धारित पद- उपयंत्री
- वर्तमान वेतन - 48100/+ डीए
- आगामी वेतन वृद्धि की तारीख- जुलाई 2024

उस जिले, उस संभाग का तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें वह स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी का क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया है। खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किस प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उस का नाम तथा व्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
ग्राम गोंदिया जिला उज्जैन (म.प्र.)	-	कृषि भूमि 1.97 हेक्टर	रु. 15,00,000/-	स्वयं के नाम	पैतृक सम्पत्ति	निरंक	-
वृंदावन धाम कॉलोनी उज्जैन	48.0 वर्गमीटर भवन	-	रु. 12,00,000/-	स्वयं एवं पत्नी के नाम पर	एल.आई.सी.एच.एफ.एल. से ऋण लेकर कय किया गया।	निरंक	-

- जाहॉं लागू न हो उसे काट दिजिये।
- ऐसे मागले में जहॉं मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी हैं।

टिप्पणी- मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घेपण-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में किसी या उसके अपने नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे दें।

हस्ताक्षर 

नाम- दिनेश कुमार राठौर

पद नाम- उपयंत्री

नगर तथा ग्राम निवेश धार

फार्म

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है: **प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024**

2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन

4.150.01

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01.07.24

उपयुक्त

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर लोन हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जित की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Indore	F-605 Anandvan-2 Scheme No 140, Indore	Residential flat	54 lacs	Self and Husband	Loan from Bank		

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 \* ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) विधम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक आदेश से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक आदेश/महानि की अवधि के परचाल/यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर  
 नाम **Shruti Tayale**  
 पद **Sub Engineer**

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: दिनेश कुमार वाहने 2. वर्तमान धारित पद उपयंत्रि  
 3. वर्तमान वेतन 44,000/- PDA अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2024

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा न्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	वसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा न्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निर्माणाधीन आवासीय भूकान न० 332, इशान विस्तार कोलार रोड भोपाल ग्राम बुखलिया जागीर वडिन० 81 वडह हुजुर जिला श्रेणपाल (मधु०)	निर्माणाधीन आवासीय भवन	लागू नहीं	लगभग 25,00,000 (पच्चीस लाख) Twenty five lakhs	लागू नहीं	HDFC BANK एवं बजाज फायनेंस से लोन लेकर दिनांक 14/11/2020 को M/s Ishan Builders & Developer 223, Zone-I M.P. Nagar Bhopal से किया गया।	कोई नहीं	

• जहां लागू न हो, काट दीजिए।  
 •• ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में तटस्थ मूल्य बतलाया जाए।  
 ••• इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 78(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चार महीने की अवधि के परचाय पर घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थायित्व की तथा उससे द्वारा अर्जित आय का उचित विवरण में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर गं किराी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित संपत्ति अचल सम्पत्ति के न्यौरे हैं।

हस्ताक्षर: Di. K. Mahane  
 28/12/2023  
 नाम: दिनेश कुमार वाहने  
 पद: उपयंत्रि  
 कार्यालय उपसंचालक नगर  
 वड्या ग्राम निवेश नभिकापुरम

फार्म

अचल सम्पत्ति का विवरण, 1 जनवरी-2024

1 अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो :- महेश कुमार छलोत्रे शासकीय सेवा 2 वर्तमान धारित पद:- उपयंत्री  
3 वर्तमान वेतन :- 68500 / +मंहगाई भत्ता 4 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.07.2024

उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ग्राम पिपल्या माफी तहसील रहट गाँव जिला हरदा	-	कृषि भूमि 2.144 हेक्टर	20,00,000 /-	स्वयं के नाम	पैतृक संपत्ति	1,00,000	-
2 ग्राम लिम्बोदी जिला इंदौर	15X40=600 व.फ. पर भूखण्ड पर भवन	-	16,75,000 /-	पत्नि एवं स्वयं के नाम से	(एल.आई.सी.एच..एफ.एल. द्वारा ऋण) से खरीद कर वर्ष 2014 में	निरंक	-
3 ग्राम गोयलाखुर्द	गृह 86.25 वर्गमीटर भूखण्ड पर भवन	-	18,35,000 /-	स्वयं के नाम	ग्राम बिरियाखेडी, रतलाम (म.प्र.) का मकान राशि रूपये 12,65,000 में विक्रय कर एवं शेष राशि 5,10,000 एच.यू.एफ. खाते से ऋण प्राप्त कर क़य किया गया।	निरंक	-

जहाँ लागू न हो काट दीजिए

"ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

"इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित  
है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक दारह महीने की अवधि के प चात यह घोशणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके  
स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति  
के नाम पर पट्टे सर बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर  
@Maha...

नाम :- महेश कुमार छलोत्रे

पद :- उपयंत्री,

नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष

जुलाई - 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

विवेक देवदर

2. वर्तमान धारित पद

उपयुक्त

3. वर्तमान वेतन ... 5,2500/- ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई 2024

उत्त जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा न्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उभे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा न्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
124 जवाहर नगर स्कीम 97 पार्ट-4 स्लाब-5 राजपुर नगर के पास रौरी	गृह	-	लगभग 250 लाख	स्वयं खरीद	पिलाणी से लेकर स्वयं की बचत एवं LIC से लेन लेकर		

\* जहां लागू न हो, काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद त्रैमासिक आधार पर अपनी आय का विवरण देकर प्रस्तुत करें और साथ ही वह उनके सम्पत्ति का तथा उसके द्वारा अर्जित आय का विवरण में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अर्जित अन्य धार्मिक के साथ पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर ... V. M. Lodhi  
 नाम ... विवेक देवदर  
 पद ... उपयुक्त  
 नमूना 9999

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, राश

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजेश सिंह परेल 2. वर्तमान धारित पद उपयंत्री  
 3. वर्तमान वेतन 62,700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2024

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① जिला - जबलपुर ग्राम - लमली	आकाशीपल्ला (2000 वर्ग फुट)	-	80,00,000/-	स्वयं के नाम पर	जबलपुर ग्रह निगम सहो समिति द्वारा जबलपुर	-	
② जिला - जबलपुर ग्राम - लमली	अयन निगम द्वारा (2000 वर्ग फुट)	-	55,00,000/-	स्वयं के नाम पर	PLC से लोन (2003 ई) (रु. 4,35,000/-) पुनः निगम द्वारा लोन (रु. 8,00,000/-) (करीब 2016 ई) घाटिवाणीक बंधवारा (पैमिक संपत्ति)	-	
③ ग्राम - खमरीया (कांसावाड़ा) तहसील - गाटेगांव जिला - जबलपुर	-	कृषि भूमि लगभग 6.0 एकर	90,00,000/-	स्वयं के नाम पर	घाटिवाणीक बंधवारा (पैमिक संपत्ति)	1,89,000/-	

\* जहां लागू न हो फाट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक त्रैमास्य महीने की अवधि के परचाय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उत्तर में वह उनके स्थायित्व की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

हस्ताक्षर R. Patel  
 15/01/24  
 नाम राजेश सिंह परेल  
 पद उपयंत्री

## फॉर्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, राधे

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : आर.ए.ए.ए. 2. वर्तमान धारित पद : इंस्पेक्टर3. वर्तमान वेतन : 62700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 30/04/2011

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टे, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	आभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ महीने की अवधि के परचाय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर ग किमी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : Arनाम : आर.ए.ए.ए.पद : इंस्पेक्टर

फार्म

अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1 अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो :- एस.के.शर्मा शासकीय सेवा 2 वर्तमान धारित पद:-उपयंत्री

3 वर्तमान वेतन:- 62700/- + मंहगाई भत्ता

4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.07.2024

उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम,जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका भासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
इंदौर (ग्राम खजराना कनाडिया रोड)	प्लेट	-	38.0 लाख (लगभग)	स्वयं एवं पत्नि के नाम	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेकर एवं जी.पी.एफ. की राशि तथा स्वयं की बचत से कय किया गया। विभागीय अनुमति प्राप्त कर कय किया गया।	निरंक	-

जहाँ

लागू न हो काट दीजिए

“ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

“इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी,द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित

हैं कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पचास दिन यह घोशणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे सर बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर



नाम : एस.के.शर्मा

पद :- उपयंत्री

नगर तथा ग्राम निवेश,उज्जैन



फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, राय

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो...

मालिका कानडा

2. वर्तमान धारित पद

उपयुक्ति

3. वर्तमान वेतन 41500 + P.A. ....

P.A. ....

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01.10.2024

उत्त जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और ज़िम्मेदार अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

बिना

- जहां रागू न हो काट दीजिए।
  - ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
  - इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचाय या घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और साथ ही वह उनके रथागित्व की तथा उससे द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

हस्ताक्षर ... *(Signature)*  
 नाम ... मालिका कानडा  
 पद ... उपयुक्ति

3

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष

जनवरी 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

दिनेश कुमार

2. वर्तमान धारित पद

वरिष्ठ-सु-अधीक

3. वर्तमान वेतन 34100/-

DA... आगामी वेतनवृद्धि की तारीख

1 जनवरी 2024

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ...खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<del>1/1/2024</del>							

\* जहां लागू न हो, काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सहो-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 78(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चार महीने की अवधि के परचाल यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर : दिनेश कुमार  
 नाम : दिनेश कुमार  
 पद : वरिष्ठ-सु-अधीक

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष -2024 (01 जनवरी 2024)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो- प्रकाशकुमार विश्वकर्मा, कनिष्ठ भू-मापक,कार्याIO उप संचालक,नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सतना 2.वर्तमान धारित पद-बरिष्ठ भू-मापक

3. वर्तमान वेतन- 33,100/-

आगामी वेतन वृद्धि की तारीख - 01 जुलाई 2024

उस जिले, उस संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम,जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर ना हो तो बतालाईये कि वह किसके नाम पर धारित है, उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध हैं।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गयाखरीद, पट्टा, बंधक, विरासत,भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	4	5	6	7	8
(1)संभाग- शहडोल जिला- शहडोल तहसील-व्यौहारी ग्राम- पपौध (म0प्र0)	पैतृक गृह	कृषि भूमि	3,00000/- लगभग	पिता के नाम पर धारित हैं।	विरासत में प्राप्त। (माता-पिता) के नाम पर हैं।	निरंक	-
(2)संभाग- रीवा जिला सतना तहसील रघुराजनगर ग्राग - रामपुर चौरासी	आवासीय भूखण्ड 30X50		5,00000/-	स्वयम् के नाम पर धारित है।	सॉई डबलपर्स सतना से वर्ष 09. 03. 2018 में आवासीय भू खण्ड क्रय किया गया है।	निरंक	---
(3) संभाग शहडोल जिला शहडोल तहसील व्यौहारी ग्राम विजयसोता	कृषि भूमि 0.052 हे.	कृषि भूमि	2,00000	पत्नी द्वारा क्रय की गई है।	रवि विश्वकर्मा द्वारा 2023 में कृषि भूमि क्रय की गई है!	निरंक	---

\*जहाँ लागू न हो काट दीजिये।

\*\*ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थित के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा -पत्र भरकर प्रस्तुत करें,और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके

हस्ताक्षर - 

नाम- प्रकाश विश्वकर्मा

पद- उप संचालक

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, राय

1 अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

इश्वर मणि सोनी

2. वर्तमान धारित पद

वरिष्ठ शू-मापक

3. वर्तमान वेतन

3.21.00/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2024

उत्त जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा न्यौरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा न्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम गोरखरा मिर्जा-शहोब	गृह	25x60 1500 वर्गफिट		स्वयं के नाम पर	खरीदी की गई है (लोन के माध्यम से)	मिर्जा	स्वयं के पिये प्रवासीन गृह

जहां तागु न हो, फाट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान तिथि के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : माध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 78(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चार महीने की अवधि के परचाल यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

*(Signature)*

नाम

इश्वर मणि सोनी

पद

वरिष्ठ शू-मापक

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

गुमान सिंह डोडवा

2. वर्तमान धारित पद

वरिष्ठ सू-भाषक

3. वर्तमान वेतन 32,100/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2024

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया (खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर)	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p><i>Not available</i></p>							

जहां लागू न हो, काट दीजिए।  
 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान रिपोर्ट के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणियाँ : यध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ महीने की अवधि के परचाशु यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके रमागित्य की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

हस्ताक्षर Sharma  
 नाम गुमान सिंह डोडवा  
 पद वरिष्ठ सू-भाषक

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी-2024

1 अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो:

अमित कुमार पाठिल

2. वर्तमान धारित पद

वरिष्ठ डू-माफक

3. वर्तमान वेतन 32100/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलै 2024

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला - जबलपुर ग्राम - मदारानपुर	भवन निर्माण किता (2021में) (800वर्गफुट)	—	28,00,000/-	स्वयं के नाम श्वं पति के नाम पर	LICHFL से लोन लेकर (2021में) 15,00,000/- रु. (शेष राशि स्वयं की श्रम ले श्वं मस्ति की पति द्वारा है)	—	

\* जहां राग न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में तगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चार महीने की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके रथागित्व की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर ग किमी अन्य आदि के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर..... 08-01-2024

नाम अमित कुमार पाठिल

पद वरिष्ठ डू-माफक

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 1 जनवरी-2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो:

निहाल मुजाल

2. वर्तमान धारित पद

ऑफिस में - 1147

3. वर्तमान वेतन

32100/-

डा. अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2024

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से : वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ग्राम गवल तह. श्रीनगरगांव -मिला खरगोस (म. प्र.)	खरगोस भवन पट्टा पत्नी पर संपत्ति	-	-	पत्नी	पत्रक सम्मिलित	50000/-	अनुमानित
2. ग्रामना सुमान-04 A) पल्लवान विहाल जालोनी -सालान (म. प्र.)	सुमान	-	1008000/-	स्वयं	खरीद	-	25740 रु/वर्ष
3. ग्राम विनायक जालोनी -सालान (म. प्र.)	भवन	-	2560000	स्वयं/पत्नी	डॉम जौन SBI	-	

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान रिपोर्ट के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचार्ज या पोषणा-पत्र भर का प्रस्तुत करें और तब वह उनके ध्यागित्व की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर ...  
 नाम ... निहाल मुजाल  
 पद ... ऑफिस में - 1147

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण-2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो- लोकेन्द्र सिंह चौहान  
3. वर्तमान वेतन 29400+DA

2. वर्तमान धारित पद- कनिष्ठ सू-मापक  
4. आगामी वेतन वृद्धि की तारीख- जुलाई 2024

उस जिले, उस संभाग का तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें वह स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी का क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया है। खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किस प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उस का नाम तथा व्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

Nil

- जहाँ लामू न हो उसे काट दिजिये।
- ऐसे नामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी हैं।

टिप्पणी:- मध्य प्रदेश शासकीय संवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषण-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में किसी या उसके अपने नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरे दें।

हस्ताक्षर... (Signature)  
नाम- लोकेन्द्र सिंह चौहान  
पद नाम कनिष्ठ सू-मापक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
जिला- धार





फार्म  
 प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी 2024  
 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है एम.एस.एल.ए.सी.  
 2. वर्तमान धारित पद उपयंत्री  
 3. वर्तमान वेतन ..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2024

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया है (खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा)	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम <u>बैरहर पोस्ट</u> <u>आफिस उमरी थाना</u> <u>शम्भुपुर (कुरुलियांन)</u> <u>जिला टीका (छोटा)</u>	<u>पुस्तनी</u>	<u>बूढ़ी</u> <u>भूखि</u> <u>एव</u> <u>मेकान</u>	<u>15 लाख</u> <u>(लगभग)</u>	<u>पत्नी के</u> <u>नाम</u>	<u>कसल से प्राप्त</u>	<u>40,000</u> <u>चालीस</u> <u>हजार</u> <u>लगभग</u>	

जहां लागू न हो क्रांति-दीप्ति।  
 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में संभागाध्यक्ष मूल्य बतलाया जाए।  
 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आंतरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) को अपील प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अव्यक्त है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार होने की अवधि के परिवार सह संवेचना-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर : [Signature]  
 नाम : एम.एस.एल.ए.सी.  
 पद : उपयंत्री  
गंगा तथा 315 मिनेस लान

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष

जनवरी - 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो:

सतीश कुमार रेजा

2. वर्तमान धारित पद

उपयंत्री

3. वर्तमान वेतन

68500

t.P.A अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2024

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टे, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा गर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	घर तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सागर	गर्जन		4500000	स्वयं स्व पति के नाम	कालोनाइजर से बूस्ट खरीदकर गर्जन मिश्रा स्वामी खरीद से।		

• जहां रागू न हो, काट दीजिए।

•• ऐसे मामले में जहां मूल्य का सहो-सहो निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

••• इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 78(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक ग्राह्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

29/12/2023

नाम

सतीश कुमार रेजा


पद

उपयंत्री

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, सर्व

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : जि. प्र. व. व. (नक. 5) 2. वर्तमान धारित पद : उप. प्र. व. व.  
 3. वर्तमान वेतन : 415,000 अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 1/07/2027

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा न्यौरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधन, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा न्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>जाना नक. 5</u> <u>तह - फ. 2271/01/12</u> <u>जि. प्र. व. व. 32</u> <u>उप. प्र. व. व.</u>	<u>सक. 1/0</u>	 <u>92/12</u> <u>2038</u> <u>की. व. 1</u>	<u>11,80,000/-</u> <u>ख. प्र. व. व. 1/1</u>	<u>ख. प्र. व. व. 1/1</u>	<u>पै. व. व. 1/1</u> <u>109000/-</u>		

जहां लागू न हो, काट दो बिना।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान निर्धारित के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवकों (आवण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक तारखे महीने की अवधि के पश्चात् पहली श्रेणी-सत्राधर का प्रस्ताव (अर्ज) उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित, अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के न्यौरा दें।

हस्ताक्षर : [Signature]  
 नाम : जि. प्र. व. व. 32  
 पद : उप. प्र. व. व.

फॉर्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी-2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

श्री अनूप खेरडे

2. वर्तमान धारित पद

उपयुक्त

3. वर्तमान वेतन

4.81.00/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01.01.2024

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर लन हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *खरीद, पट्टे, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जित की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ग्राम-खडडा एफ मांसी-जिला इंदौर मध्य	30' x 50' = 1500 Sq.ft.				यह 22-2005 मेरी पुष्पनीप प्लान्ट की अल्लू खेरडे से विनिश्चल होमे के साइड मुझे व मेरे भाई का संयुक्त रूप से गैर धरम डिपारमट है		
2. ग्राम-बिखोदी सहमील-सुनीइला जिला इंदौर मध्य	25' x 78' = 1950 Sq.ft.			22-2005 की 2112 ₹8,00,000/-	अक्त 22-2005 पर मेरे 60,00,000/- का S.B.I. Dular 212018 से अक्षर विपारमट है।		

*(Signature)*

हस्ताक्षर

जहाँ-जहाँ न हो काट दीजिए।  
 \* इस नाम में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान संपत्ति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 28(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के अर्थक सदस्य से यह  
 अर्जित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार तारीख की अवधि के परचाय यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और  
 उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम  
 पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे हैं।

नाम अनूप कुमार खेरडे  
 पद उपयुक्त संपुका सेवासक  
 मध्य प्रदेश शासकीय सेवा इंदौर

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 1 जनवरी - 2024  
 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: श्री विजय जलपाय  
 2. वर्तमान धारित पद: उपयत्नी  
 3. वर्तमान वेतन: 4,27,000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख: 01.07.2024

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर ही तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जित की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1) गांव विपलवादाना जिला इन्डौर	(2) H NO-17, उ. ही जा विहार केम्पस इन्डौर	(3) आवासीय (G+L)	(4) 42 वर्ग फीट	(5) श्री विजय पिता श्री विमलचंद्र प्रकाश श्री माझरी प्रति विजय जलपाय	(6) 20 x 42 = 84 वर्ग फीट भवन का किया गया	(7) -	(8) गृह लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 31,70,000/- रुपये मात्र आए

\* जहां लागू न हो: काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सही-सही की अवधि के अंतर्गत यह घोषणा करने पर कार्य प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर .....  
 नाम: विजय जलपाय  
 पद: उपयत्नी

फार्म  
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रहा है: राजेश कुमार सिंह (आर.एस.टी. (अ.सि.))  
 2. वर्तमान धारित पद: उपर्युक्त  
 3. वर्तमान वेतन: 68500/ + D.A. ... अगली वेतन वृद्धि की तारीख: 01/07/2024

उस जिले/उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्थिति		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर ली हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया है (खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्त्रीस)	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ग्राम जलालाबाद नज्दपुरा (कलेक्टर कार्यालय के सामने)	खुदावा	—	25 लाख (लगभग)	स्वयं स्व पत्नी के नाम पर	खुदावा द्वारा अनुकूलि प्राप्त कर के	—	खुदावा
2. 43 फीट लंबाई का रेजिडेंसियल भवन	खुदावा (रह)	—	35 लाख (लगभग)	—	खुदावा द्वारा अनुकूलि प्राप्त कर के 2005 के वर्ष में खरीदा गया है।	—	खुदावा
3. ग्राम वेहरी तहसील हरखद जिला रायबरेली	—	भूमि	20 लाख (लगभग)	पत्नी की मरिजात के बाद खरीदा गया है।	पत्नी की मरिजात के बाद खरीदा गया है।	30,000/-	खुदावा

जहां लागू नहीं हो, कानून द्वारा...  
 ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव नहीं हो, वहां वर्तमान स्थिति के 'सन्दर्भ' में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 इसमें अल्पजमीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: यह प्रश्न शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेश के समय और उसके बाद प्रत्येक वर्ष मरिजात की अवधि के परिचायक यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अधिमान्त विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बारे में।

हस्ताक्षर: राजेश कुमार सिंह  
 नाम: राजेश कुमार सिंह  
 पद: उपर्युक्त  
 27/12/2023

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण

जिनवरी-2023

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

श्री. अशोक कुमार

2. वर्तमान धारित पद

अधीनस्थ

3. वर्तमान वेतन

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जिनवरी 2023

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया है खरीद, पट्टा, अधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	घर तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
/							

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव नहीं हो, तब वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार धारित की अवधि के पर्याप्त हफ्ते भौगोलिक पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की प्रथाओं द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या अधक पर उसका द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरा दें।

हस्ताक्षर

श्री. अशोक कुमार  
जिनवरी

नाम

पद